



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01122025-268121
CG-DL-W-01122025-268121

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, नवम्बर 23—नवम्बर 29, 2025, शनिवार/अग्रहायण 2—अग्रहायण 8, 1947
No. 19] NEW DELHI, NOVEMBER 23—NOVEMBER 29, 2025, SATURDAY/AGRAHAYANA 2—AGRAHAYANA 8, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

का.नि.आ. 40.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम/पता जिसे राजभाषा नियम, 1976 के उप-नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना है	संबंधित अंतर-सेवा संगठन (ISO)
1.	वेतन लेखा कार्यालय (अ.श्रे.) मद्रास इंजीनियर ग्रुप व केंद्र बेंगलूरु - 560042	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
2.	लेखा अधिकारी जी.ई. (परियोजना) और गोमांतक, मंगूर हिल, वास्को-डा-गामा, गोवा - 403802	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय

3.	लेखा कार्यालय, जी.ई. (नौ.का.) वास्को, गोवा	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
4.	लेखा कार्यालय, गैरिसन इंजीनियर (तटरक्षक) चिकोलना, गोवा	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
5.	रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना), टी-61, टिगरिस रोड, दिल्ली छावनी - 110010	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
6.	ले.का.दु.अ.(द) पठानकोट -145001	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
7.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (वा.से.), जम्मू	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
8.	स्थानीय लेखा-परीक्षा अधिकारी (सी) पठानकोट	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
9.	लेखा कार्यालय दुर्ग अभियंता (उत्तर) उधमपुर	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
10.	सहायक लेखा अधिकारी, सहायक दुर्ग अभियंता (स्व) वायुसेना 507 एस. यू. सिंगारासी, झारखंड-937507	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
11.	स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी (सेना), भुवनेश्वर-7	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
12.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (वायु सेना), बैरकपुर	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
13.	स्थानीय स.ले.प. अधिकारी (एस डी) ए एस सी ,बैरकपुर	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
14.	सहायक लेखा अधिकारी, बी एस ओ, ब्रिन्नागुडी	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
15.	स.ले.अ. दुर्ग अभियंता (स्व.) (नेवी व को.गा.) कोलकाता	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
16.	स्थानीय लेखा-परीक्षा अधिकारी (बी), पानागढ़	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
17.	दुर्ग अभियंता, सेना अड्डा (पानागढ़) पश्चिम बंगाल -713420	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
18.	स्पर्श सेवा केंद्र, सासाराम, ई. सी. एस. एच. पॉलीक्लीनिक, द्वितीय तल, मंगला भवन, पुरानी जी.टी. रोड, सासाराम, रोहतास, बिहार - 8335922	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
19.	स्पर्श सेवा केंद्र, भोजपुर (आरा)	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
20.	स्पर्श सेवा केंद्र, सारण, हनुमान नगर, श्याम चक, छपरा	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
21.	स्पर्श सेवा केंद्र, वैशाली, गांधी आश्रम, हाजीपुर (वैशाली)	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
22.	स्पर्श सेवा केंद्र, मुजफ्फरपुर, ई. सी. एच. एस. चक्र मैदान, मुजफ्फरपुर-842001	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
23.	स्पर्श सेवा केंद्र, ई. सी. एच. एस., पॉलीक्लीनिक, सिवान	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
24.	स्पर्श सेवा केंद्र, भागलपुर, ई. सी. एच. एस. पॉलीक्लीनिक, वार्ड नं. - 32, होलिंग नंबर 33, शिव शंकर सहाय रोड, वी- मार्ट के समीप, अजीत शर्मा विधायक आवास, भागलपुर	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
25.	स्पर्श सेवा केंद्र दार्जिलिंग	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
26.	स्पर्श सेवा केंद्र, ई. सी. एच. एस. पॉलीक्लीनिक, 383 कंपनी, न्यू मिलिट्री स्टेशन, गंगटोक	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
27.	डी.ए.डी. सेल, ई.सी.एच.एस., आर.सी., हेड क्वार्टर पूर्वी कमान, पूर्वी कमान मुख्यालय, फोर्ट विलियम, कोलकाता-21	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
28.	डी.ए.डी. सेल, ई. सी. एच. एस., आर. सी., कॉकरेल कैटीन, मोराबादी, रांची - 834008	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
29.	फील्ड लेखा कार्यालय, अम्बाझरी, नागपुर	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
30.	फील्ड लेखा कार्यालय, आवडी, चेन्नई -600054	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
31.	फील्ड लेखा कार्यालय, कानपुर	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय

32.	फील्ड लेखा कार्यालय, फील्ड यूनिट खड़की, पुणे - 411003	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
33.	फील्ड लेखा कार्यालय (फील्ड यूनिट), जबलपुर वाहन निर्माणी, जबलपुर	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
34.	फील्ड लेखा कार्यालय, देहरादून	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
35.	लेखा कार्यालय, सी.पी.ई., इटारसी (मध्य प्रदेश) - 461114	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
36.	लेखा कार्यालय (परियोजना) अरुणांक	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
37.	लेखा कार्यालय (परियोजना) विजयक	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
38.	लेखा कार्यालय 764 सी.स.कृ.व. द्वारा 99 सेना डाकघर	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
39.	कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (द.क्षे.) डी आर डी ओ फेस-2, कग्गदासपुरा, सी.वी. रामन नगर, बेंगलूरु - 560093	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
40.	स्थानीय लेखा-परीक्षा अधिकारी (वायु सेना) कार्यालय एयर फ़ोर्स स्टेशन, बागडोगरा - 734421	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
41.	स्थानीय लेखा-परीक्षा कार्यालय (वा.से.) शिलांग, बिबर रोड, शिलांग-793001	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
42.	स्थानीय लेखा-परीक्षा कार्यालय (वा.से.) ताम्बरम, चेन्नई-600046	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
43.	लेखा अधिकारी, सहायक दुर्ग अभियंता (स्व.), रायवाला	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
44.	लेखा कार्यालय, दुर्ग अभियंता (पश्चिम), आगरा	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
45.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (पश्चिम), मथुरा छावनी	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
46.	स्थानीय लेखा-परीक्षा अधिकारी (सेना), नैनीताल	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
47.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सेना), बरेली छावनी	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
48.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (पूर्व), आगरा	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
49.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (पूर्व), बरेली	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
50.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (पूर्व), मथुरा छावनी	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
51.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (परियोजना), मेरठ	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
52.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (पश्चिम), बरेली	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
53.	सहायक स्थानीय लेखा-परीक्षा अधिकारी (वायु सेना) ए.एस.टी.ई., यमलूर, बेंगलूरु	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
54.	स्थानीय लेखा-परीक्षा अधिकारी (वायु सेना) नाल, बीकानेर	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
55.	लेखा अधिकारी, मुख्य निर्माण अभियंता (अनु. एवं वि.), संपदा उत्तर, चंडीगढ़ - 160030	रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय

[फा. सं. 1(3)/2024-रक्षा (रा.भा.1)]

मनीष त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2025

S.R.O. 40.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of Ministry of Defence, D/o Defence, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :-

1.	Pay Accounts Office (Ors), Madras Engineer Group and Centre-560042
2.	AO GE(P) Gomantak, Mangoor Hill, Vasco-Da-Gama, Goa-403802
3.	Account Office, Garrison Engineer (NW), Goa
4.	Accounts Office, Garrison Engineer (Coast Guard), Chicolna, Goa
5.	Controller of Defence Accounts, T-61, Tigris Road, Delhi Cantt-110010
6.	AO GE(S) Pathankot-145001
7.	Accounts Officer, Garrison Engineer (AF), Jammu
8.	Local Audit office (C), Pathankot
9.	Account Office Garrison Engineer (North), Udhampur, Jammu
10.	AAO, AGE(I) 507 SU, AF Singarsi, Jharkhand Pin-937507
11.	Local Audit Office (Army), Bhubaneswar-7
12.	AO, GE(AF), Barrackpore
13.	ALAO (SD) ASC, Barrackpore
14.	Assistant Accounts Officer, Barrack Store Office, Binnaguri
15.	AAO GE (I) (Navy/CG), Kolkata
16.	LAO(B), Panagarh
17.	AO GE, Army Base, Panagarh, West Bangal-713420
18.	Sparsh Service Centre, Sasaram, ECSH Polyclinic, 2 nd Floor, Mangla Bhawan, Old GT road Sasaram, Rohtas, Bihar-8335922
19.	Sparsh Service Centre, Bhojpur (Ara)
20.	Sparsh Service Centre, Saran, Hanuman Nagar, Shyam Chak, Chhapra
21.	Sparsh Service Centre, Gandhi Ashram, Hajipura, Vaishali
22.	Sparsh Service Centre, Muzaffarpur
23.	Sparsh Service Centre, ECHS, Polyclinic, Siwan
24.	Sparsh Service Centre, Bhagalpur, ECHS, Polyclinic, Ward No-32, Holding No-33, Near V-Mart, Besides residence of Ajit Sharma, Bhagalpur
25.	Sparsh Service Centre, Darjeeling
26.	Sparsh Service Centre, ECHS, Polyclinic, 383 Company, New Military Station, Gangtok
27.	DAD Cell, ECHS, RC Kolkata, H.Q. Eastern Command, Fort William, Kolkata-21
28.	DAD Cell ECHS RC Cockerel Canteen, Morabadi, Ranchi-834008
29.	Field Accounts Office, Ambajhari, Nagpur
30.	Field Accounts Office, Avadi, Chennai-600054
31.	Field Accounts Office, Kanpur
32.	Field Accounts Office, Field Unit Khadki, Pune-411003
33.	Field Accounts Office, (Field Unit), Jabalpur Vehicle Factory, Jabalpur
34.	Field Accounts Office, Dehradun
35.	Accounts Office, C.P.E, Itarsi (Madhya Pradesh)-461114
36.	Accounts Office (Project) Arunank
37.	Accounts Office (Project) Vijayak
38.	Accounts Office 764 BRTF C/o 99 APO

39.	Office of the Controller of Defence Accounts, Regional Training Centre (SR) DRDO Ph-II, Kaggadasapura, C V Raman Nagar, Bengaluru-560093
40.	Local Audit Officer, (AF) Air Force Station, Bagdogra-734421
41.	Assistant Local Audit Office (AF), Shillong, Beaver Road, Shillong-793001
42.	Local Audit Office (AF) Tambaram, Chennai-600046
43.	AO AGE(I) Raiwala
44.	Accounts Office, GE (West), Agra
45.	Accounts Office, GE (West), Mathura Cantt
46.	Local Audit Office (Army) Nainital
47.	Area Accounts Office (Army) Bareilly Cantt
48.	Accounts Office, Garrison Engineer (East) Agra
49.	Accounts Office GE (East), Bareilly
50.	Accounts Officer, Garrison Engineer (East) Mathura Cantt
51.	AO GE (Project) Meerut
52.	Accounts Office, GE (West), Bareilly
53.	Assistant Local Audit Officer (AF) ASTE, Yemluru, Bengaluru
54.	Local Audit Officer (Air Force), NAL, Bikaner
55.	Accounts Officer, CCE (R&D), Estate North, Chandigarh-160030

[F. No. 1(3)/2024-D(OL-1)]

MANISH TRIPATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

का.नि.आ. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना वायु रक्षा महानिदेशालय, समूह 'ग' (ज्येष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, संग्रहालय अध्यक्ष, ज्येष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, हिंदी टंकक और प्रूफ वाचक) और समूह 'घ' (आफसेट मशीन प्रचालक और जिल्दसाज) भर्ती नियम, 2007 को, जहाँ तक उनका संबंध हिंदी टंकक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सेना वायु रक्षा महानिदेशालय में हिंदी टंकक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना वायु रक्षा महानिदेशालय, समूह 'ग' (अराजपत्रित) (हिंदी टंकक) भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
या

ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हिंदी टंकक	01*(2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19,900 63,200 रु.)	अचयन।	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच* अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पद के मामले में, यह 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होगा। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-2 पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक शिथिल तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के

					पांगी उपखण्ड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यदीप के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है)
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले के लिए व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास। 2. हिंदी टंकण में 20 शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किये जाने के साथ दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रति नियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भारी जा सकेंगी। क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई अर्हताएं रखते हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- क) अध्यक्ष - कमांडेंट, सेना वायु रक्षा कालेज या उनके द्वारा नियुक्त कर्नल से अन्यून पद का कोई अधिकारी ख) सदस्य - सेना वायु रक्षा निदेशालय से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद का कोई अधिकारी ग) सदस्य - संबंधित स्थापनों से एक राजपत्रित या कमीशंड ऑफिसर	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए/ 37041/ सिव/ एएडी (लीगल) आर आर / 57/र.नि./2025]

एं पी हरिनारायणन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

S.R.O. 41.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of Directorate General of Army Air Defence Group 'C' (Senior Librarian, Library Assistant, Museum Curator, Senior Translator, Junior Translator, Hindi Typist and Proof Reader) and Group 'D' (Offset Machine Operator and Binder) Recruitment Rules, 2007, in so far as these relate to the posts of Hindi Typist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of Hindi Typist in the Directorate General of Army Air Defence:-

1. **Short Title and Commencement.** - (a) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate General of Army Air Defence, Group 'C' (Non-Gazetted) (Hindi Typist) Recruitment Rules, 2025.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in pay matrix** - The number of the said post, its classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Column (2) to (4) of the Schedule to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit and other qualifications etc** - The method of recruitment, age-limit and other matters relating to the said post shall be as specified in Column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** - No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that, it is necessary of expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special Categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Hindi Typist	01* (2025) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Level - 2 in the Pay matrix (Rs. 19900 - 63200/-)	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
6	7	8	9
Between 18 and 25 Years* * In case of post being filled by All-India open competition, it would be between 18 years and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled	Essential (i) 12 th class pass from recognised Board. (ii) A typing speed of twenty words per minute in Hindi Typewriting.	Not applicable	Two years for direct recruits and successful completion of a mandatory induction training of at least two weeks duration.

Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time). Note 1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)			
---	--	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By Direct Recruitment Note: Vacancies caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the offices of the Central Government ;- (a) Holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of :- (a) Chairman: Commandant, Army Air Defence College or any other officer not below the rank of Colonel appointed by him. (b) Member: Any officer of the rank of Lt Col from Army Air Defence Dte. (c) Member: One Gazetted or Commissioned Officer from the respective establishments.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A/37041/Civ/AAD (Legal)/RR/57/D(Appts)/2025]

M.P. HARINARAYANAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025

का.नि.आ. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, नौसेना प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख'), पद भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के भारतीय नौसेना में प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I और प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I और प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.** — ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.** — उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.** — वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.** — जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद या अचयन पद ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II	21* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100 से 177500/- रु०) ।	चयन ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक: की डिग्री तथा (ii) किसी सरकारी कार्यालय या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में प्रशासन, लेखा और स्थापन कार्यों का तीन वर्ष तक अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूची जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण : केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100/- रु०) में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II, जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा

के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।		यथाविनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशासन, स्थापना और लेखा के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (नौसेना) या संयुक्त सचिव (स्थापना) रक्षा मंत्रालय -सदस्य; 3. प्रधान निदेशक, सिविलियन कार्मिक या निदेशक, सिविलियन कार्मिक नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संयुक्त सचिव (नौसेना) या संयुक्त सचिव (स्थापना) रक्षा मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. प्रधान निदेशक, सिविलियन कार्मिक निदेशक, सिविलियन कार्मिक नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, सिविलियन कार्मिक नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II।	32* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 08 (47600 से 151100/- रु)।	चयन।

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/- रु•) में ऐसे कार्यालय अधीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशासन, स्थापना और लेखा के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर कार्यालय अधीक्षक के पोषक पदों को धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष की निरंतर सेवा होगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. सहायक कार्मिक प्रमुख (प्रशासन और सिविलियन) या - अध्यक्ष; ज्येष्ठ प्रधान निदेशक नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. प्रधान निदेशक, सिविलियन कार्मिक या निदेशक, सिविलियन कार्मिक नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	-सदस्य;	
3. संयुक्त निदेशक, सिविलियन कार्मिक या उप निदेशक, सिविलियन कार्मिक नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	-सदस्य;	
4. अवर सचिव/ डी(नियुक्ति) रक्षा मंत्रालय	-सदस्य।	

[फा. सं. सी पी (जी)/2410/ आर आर/ एओ – I/II/डी (ए पी पी टी टी एस)/2025]

ए. पि हरीनारायणन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2025

S.R.O. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Navy, Administrative Officers (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2018, in so far as they relate to the posts of Administrative Officer Grade-I and Administrative Officer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before to the posts of Administrative Officer Grade-I and Administrative Officer Grade-II in the Indian Navy, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement .—** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy, Administrative Officer Grade-I and Administrative Officer Grade-II (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application .—** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix .—** The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification .—** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax .—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Administrative Officer Grade – I.	21* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level – 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note. —The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential: (i) Bachelors degree from a recognised University or recognised institute; and (ii) Three years of experience of Administration, Accounts and Establishment work in a Government office or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings. Note 1. —The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. —The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note . — There shall	(i) Fifty per cent by direct recruitment; and (ii) Fifty per cent by promotion.	Promotion : Administrative Officer Grade – II in level – 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with four years

be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	of regular service in the grade and having successfully completed mandatory training of two to four weeks in the field of Administration, Establishment and Accounts from a recognized institute as specified by the Department. Note. —Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Navy) or Joint Secretary (Establishment), Ministry of Defence - Member; 3. Principal Director of Civilian Personnel or Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Navy) or Joint Secretary (Establishment), Ministry of Defence - Chairman; 2. Principal Director of Civilian Personnel or Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence -Member; 3. Joint Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Administrative Officer Grade – II.	32* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level – 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.	Promotion : Office Superintendent in level – 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with six years of regular service in the grade and having successfully completed mandatory training of two to four weeks in the field of Administration, Establishment and Accounts from a recognised institute as specified by the Department. Note 1.—The eligibility service for promotion shall continue to be five years for persons holding the feeder posts of Office Superintendent on regular basis on the date of notification of these rules. Note 2.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Assistant Chief of Personnel (Administrative and Civilian) or Senior Principal Director, Naval Headquarters, Ministry of Defence - Chairman; 2. Principal Director of Civilian Personnel -Member; Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence 3. Joint Director or Deputy Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence -Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

4. Under Secretary,
D(Appointments)
Ministry of Defence

- Member.

[F. No. CP(G)/2410/RR/AO-I/II/D(Apptts)/2025]

MP HARINARYANAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

का.नि.आ. 43.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे, ऐनेस्थेटीस्ट (परिवार कल्याण) समूह 'क' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2006 और रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण कार्यक्रम, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2006 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, के अधीन परिवार कल्याण संगठन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासन श्रेणी), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) और संज्ञाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण संगठन, चिकित्सक संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासन श्रेणी)	45* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) अथवा संज्ञाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण) अथवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासन श्रेणी) के कुल पद 45 (2025) हैं और इन पदों को कुल संयुक्त स्वीकृत सीमा के भीतर परस्पर अदला-बदली कर संचालित किया जाएगा।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200-218200 रुपये) सहित नियमानुसार यथा अनुज्ञेय व्यवसाय निषेध भत्ता में वृद्धि।

चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा (रिक्तियों से संबद्धता के बिना)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपये) में ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया

जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. सचिव, रक्षा मंत्रालय – अध्यक्ष;
2. अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय – सदस्य;
3. महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं – सदस्य;
4. महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सालय सेवा – सदस्य;

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	45* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) अथवा संज्ञाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण) अथवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासन श्रेणी) के कुल पद 45 (2025) हैं और इन पदों को कुल संयुक्त स्वीकृत सीमा के भीतर परस्पर अदला-बदली कर संचालित किया जाएगा।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपये) सहित नियमानुसार यथा अनुज्ञेय व्यवसाय निषेध भत्ता में वृद्धि।

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा (रिक्तियों से संबद्धता के बिना)

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये) में ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं - अध्यक्ष ; 2. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (चिकित्सीय अनुसंधान और स्वास्थ्य)- सदस्य; 3. उप महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (योजना) - सदस्य; 4. रक्षा मंत्रालय द्वारा यथा नामित संयुक्त सचिव - सदस्य;
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	45* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) अथवा संज्ञाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण) अथवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासन श्रेणी) के कुल पद 45 (2025) हैं और इन पदों को कुल संयुक्त स्वीकृत सीमा के भीतर परस्पर अदला-बदली कर संचालित किया जाएगा।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78000-209200 रुपये) सहित नियमानुसार यथा अनुज्ञेय व्यवसाय निषेध भत्ता में वृद्धि।

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा (रिक्तियों से संबद्धता के बिना)
(11)	
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में ऐसे ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	

(12)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (चिकित्सीय अनुसंधान और स्वास्थ्य) – अध्यक्ष ; 2. उप महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (योजना) – सदस्य; 3. कर्नल, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (स्वास्थ्य) - सदस्य; 4. रक्षा मंत्रालय द्वारा यथा नामित निदेशक अथवा उप सचिव - सदस्य।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	45* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) अथवा संज्ञाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण) अथवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासन श्रेणी) के कुल पद 45 (2025) हैं और इन पदों को कुल संयुक्त स्वीकृत सीमा के	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) सहित नियमानुसार यथा अनुज्ञेय व्यवसाय निषेध भत्ता में वृद्धि।

	भीतर परस्पर अदला-बदली कर संचालित किया जाएगा।		
--	--	--	--

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा (रिक्तियों से संबद्धता के बिना)

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये) में ऐसे महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) अथवा चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) अथवा संज्ञाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण) जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (चिकित्सीय अनुसंधान और स्वास्थ्य) – अध्यक्ष ;
2. उप महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (योजना) – सदस्य;
3. कर्नल, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (स्वास्थ्य) - सदस्य;
4. रक्षा मंत्रालय द्वारा यथा नामित निदेशक अथवा उप सचिव - सदस्य।

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
5. महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण)	44* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) अथवा संज्ञाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण) अथवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये) सहित नियमानुसार यथा अनुज्ञेय व्यवसाय निषेध भत्ता में वृद्धि।

	चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासन श्रेणी) के कुल पद 45 (2025) हैं और इन पदों को कुल संयुक्त स्वीकृत सीमा के भीतर परस्पर अदला-बदली कर संचालित किया जाएगा।		
--	--	--	--

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) टिप्पण: संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

(7)
i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से आयुर्विज्ञान तथा शल्य - चिकित्सा में स्नातक उपाधि; और ii. अनिवार्य चक्रानुक्रमी अंतः शिक्षुता का पूरा होना: ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चक्रानुक्रमी अंतः शिक्षुता पूरी नहीं की है, वे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, परंतु यदि वे चयनित होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति से पूर्व अनिवार्य अंतः शिक्षुता संतोषजनक रूप से पूरी करनी होगी। टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष

(10)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

(11)
लागू नहीं होता।

(12)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (चिकित्सीय अनुसंधान और स्वास्थ्य) – अध्यक्ष ;
2. उप महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (योजना) – सदस्य;
3. कर्नल, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (मानव संसाधन) - सदस्य;
4. कर्नल, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (स्वास्थ्य) - सदस्य।

(13)
सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
6. संज्ञाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण)	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) अथवा संज्ञाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण) अथवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासन श्रेणी) के कुल पद 45 (2025) हैं और इन पदों को कुल संयुक्त स्वीकृत सीमा के भीतर परस्पर अदला-बदली कर संचालित किया जाएगा।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये) सहित नियमानुसार यथा अनुज्ञेय व्यवसाय निषेध भत्ता में वृद्धि।

(5)	(6)
लागू नहीं होता	पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) टिप्पण: संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

(7)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से आयुर्विज्ञान तथा शल्य - चिकित्सा में स्नातक उपाधि;
(ii) अनिवार्य चक्रानुक्रमी अंतःशिक्षता का पूरा होना - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चक्रानुक्रमी अंतःशिक्षता पूरी नहीं की है, उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, परंतु यदि वे चयनित होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति से पूर्व अनिवार्य अंतःशिक्षता संतोषजनक रूप से पूरी करनी होगी;
(iii) संज्ञाहरणविज्ञान में स्नातकोत्तर चिकित्सीय अर्हता; और

(iv) स्नातकोत्तर उपाधि धारक के मामले में संज्ञाहरण में एक वर्ष का अनुभव और परास्नातक डिप्लोमा धारक के मामले में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष

(10)
सीधी भर्ती द्वारा।
टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी:
(क) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं; और
(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

(11)
लागू नहीं होता।

(12)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (चिकित्सीय अनुसंधान और स्वास्थ्य)– अध्यक्ष ;
2. उप महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (योजना) – सदस्य;
3. कर्नल, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (मानव संसाधन) - सदस्य;
4. कर्नल, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (स्वास्थ्य) - सदस्य।
(13)
सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 19617/आर.आर. (डॉक्टर)/डी.जी.ए.एफ.एम.एस./डी.जी.-3डी./डी (भर्ती)]

एं. पि हरीनारायणन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2025

S.R.O. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence Armed Forces Medical College, Pune, Anaesthetist (Family Welfare) Group 'A' Gazetted Posts, Recruitment Rules, 2006; and the Ministry of Defence, Family Welfare Programme, Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade), Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), Chief Medical Officer, Senior Medical Officer, Lady Medical Officer (Family Welfare) and Anaesthetist (Family Welfare), in the Family Welfare Organisation under the Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Family Welfare Organisation, Doctors Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade).	45* (2025) * Subject to variation dependent on workload. Note. — The total number of posts of the Lady Medical Officer (Family Welfare) or Anaesthetist (Family Welfare) or Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix plus non-practicing allowance as admissible under the rules.	Selection.

	Selection Grade) and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) is 45 (2025) and these posts are to be operated interchangeably within that total combined sanctioned strength.			
--	--	--	--	--

Age-limit for direct recruits.
(6)
Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits.

(7)
Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion (without linkage to vacancies).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) in level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix with seven years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Secretary, Ministry of Defence – Chairman; 2. Additional Secretary, Ministry of Defence – Member; 3. Director General, Armed Forces Medical Services – Member; 4. Director General, Hospital Services (Armed Forces) – Member;

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade).	45* (2025) * Subject to variation dependent on workload. Note.- The total number of posts of the Lady Medical Officer (Family Welfare) or Anaesthetist (Family Welfare) or Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) is 45 (2025) and these posts are to be operated interchangeably within that total combined sanctioned strength.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix plus non-practicing allowance as admissible under the rules.	Selection.

(6)

Not applicable.

(7)

Not applicable.

(8)

Not applicable.

(9)

Not applicable.

(10)

By promotion (without linkage to vacancies).

(11)

Promotion:

Chief Medical Officer in level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix with four years regular service in the grade.

Note.-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-
1. Director General, Armed Forces Medical Services – Chairman;
2. Additional Director General, Armed Forces Medical Services (Medical Research and Health) – Member;
3. Deputy Director General, Armed Forces Medical Services (Planning) – Member;
4. Joint Secretary as nominated by the Ministry of Defence – Member.

(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Chief Medical Officer.	45* (2025) * Subject to variation dependent on workload. Note.- The total number of posts of the Lady Medical Officer (Family Welfare) or Anaesthetist (Family Welfare) or Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) is 45 (2025) and these posts are to be operated interchangeably within that total combined sanctioned strength.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix plus non-practicing allowance as admissible under the rules.	Selection.

(6)
Not applicable.

(7)
Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion (without linkage to vacancies).

(11)
Promotion: Senior Medical Officer in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

1. Additional Director General, Armed Forces Medical Services (Medical Research and Health) – Chairman;
2. Deputy Director General, Armed Forces Medical Services (Planning) – Member;
3. Colonel, Armed Forces Medical Services (Health) – Member;
4. Director or Deputy Secretary as nominated by the Ministry of Defence – Member.

(13)

Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Senior Medical Officer.	45* (2025) * Subject to variation dependent on workload. Note.- The total number of posts of the Lady Medical Officer (Family Welfare) or Anaesthetist (Family Welfare) or Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) is 45 (2025) and these posts are to be operated interchangeably within that total combined sanctioned strength.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix plus non-practicing allowance as admissible under the rules.	Selection.

(6)

Not applicable.

(7)

Not applicable.

(8)

Not applicable.

(9)

Not applicable.

(10)

By promotion (without linkage to vacancies).

(11)
Promotion: Lady Medical Officer (Family Welfare) or Medical Officer (Family Welfare) or Anaesthetist (Family Welfare) in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with four years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Director General, Armed Forces Medical Services (Medical Research and Health) – Chairman; 2. Deputy Director General, Armed Forces Medical Services (Planning) – Member; 3. Colonel, Armed Forces Medical Services (Health) – Member; 4. Director or Deputy Secretary as nominated by the Ministry of Defence – Member.

(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Lady Medical Officer (Family Welfare).	44* (2025) * Subject to variation dependent on workload. Note.- The total number of posts of the Lady Medical Officer (Family Welfare) or Anaesthetist (Family Welfare) or Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) is 45 (2025) and these posts are to be operated interchangeably within that total combined sanctioned strength.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix plus non-practicing allowance as admissible under the rules.	Not applicable.

(6)
Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	
(i) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery degree from a recognised University or institute; and (ii) Completion of compulsory rotating internship, candidates who may not have completed rotating internships shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have to satisfactorily complete the compulsory internship before appointment. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year.	By direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).

(11)
Not applicable.

(12)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director General, Armed Forces Medical Services (Medical Research and Health) – Chairman; 2. Deputy Director General, Armed Forces Medical Services (Planning) – Member; 3. Colonel, Armed Forces Medical Services (Human Resource) – Member; 4. Colonel, Armed Forces Medical Services (Health) – Member.

(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Anaesthetist (Family Welfare).	01* (2025) * Subject to variation dependent on workload. Note.- The total number of posts of the Lady Medical Officer (Family Welfare) or Anaesthetist (Family Welfare) or Senior Medical Officer, Chief	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix plus non-practicing allowance as admissible under the rules.	Not applicable.

	Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) is 45 (2025) and these posts are to be operated interchangeably within that total combined sanctioned strength.			
--	---	--	--	--

(6)
Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.
(7)
(i) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery degree from a recognised University or institute; (ii) Completion of compulsory rotating internship, candidates who may not have completed rotating internships shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have to satisfactorily complete the compulsory internship before appointment; (iii) Post Graduate medical qualification in Anaesthesia; and (iv) One year experience in Anaesthesia in case of Post Graduate degree holder and three years in case of Post Graduate diploma holder. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year.	By direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).

(11)
Not applicable.

(12)

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-

1. Additional Director General, Armed Forces Medical Services (Medical Research and Health) – Chairman;
2. Deputy Director General, Armed Forces Medical Services (Planning) – Member;
3. Colonel, Armed Forces Medical Services (Human Resource) – Member;
4. Colonel, Armed Forces Medical Services (Health) – Member.

(13)

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. 19617/RRs(Doctors)/DGAFMS/DG-3D//D(Appts)]

MP HARINARYANAN, Under Secy.